रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 2010/श्रावण 28, 1932

No. 462] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 2010/SHRAVANA 28, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 687(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सहायक कमांडेंट (शिक्षा, विकास और पुनर्वास) भर्ती नियम, 1999 तथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (शिक्षा, विकास और पुनर्वास काडर) भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में शिक्षा और तनाव परामर्शदाता काडर में सहायक कमांडेंट के समूह 'क' पद और शिक्षा और तनाव परामर्शदाता काडर में निरीक्षक तथा शिक्षा और तनाव परामर्शदाता काडर में उप-निरीक्षक के समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, शिक्षा और तनाव परामर्शदाता काडर, समूह 'क' और समूह 'ख' भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथा-विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में यथा-विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—केवल वे व्यक्ति जो भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल मैनुअल खंड-III में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I, में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे ।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सहायक कमांडेंट (शिक्षा और तनाव परामर्श-दाता काडर)	2*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** शिक्षा और तनाव परामर्शदाता काडर के ऐसे निरीक्षकों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम अर्हित किया हो । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले

	(12)
	ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें विस्तारित की गई हैं, से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य श्रेणी वेतन या वेतनमान में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों के लिए विस्तारित होगा जिसको ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य 3. निदेशक/उप-सचिव, गृह मंत्रालय —सदस्य 4. उप-महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र से छूट प्राप्त है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. निरीक्षक (शिक्षा और तनाव परामर्शदाता काडर)	10*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** शिक्षा और तनाव परामर्शदाता काडर के ऐसे उप-निरीक्षकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम अर्हित किया हो । **टिप्पण 1 :** उप-निरीक्षक (शिक्षा और तनाव परामर्शदाता काडर), की बाबत प्रोन्नति के लिए व्यक्तियों के लिए अर्हता की शर्त, जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, तीन वर्ष जारी रहेगी । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें विस्तारित की गई हैं, से पूर्व नियमित

(12)
आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य श्रेणी वेतन या वेतनमान में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों के लिए विस्तारित होगा जिसको ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।   **टिप्पण 3 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —अध्यक्ष 2. उप-महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य 3. कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. उप-निरीक्षक (शिक्षा और तनाव परामर्शदाता काडर)	73*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा ।	**प्रोन्नति द्वारा :** शिक्षा और तनाव परामर्शदाता काडर के ऐसे हैड कांस्टेबलों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष से कम की नियमित सेवा न की हो और विभाग द्वारा विहित पूर्व प्रोन्नति प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम अर्हित किया हो । **टिप्पण 1 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें विस्तारित की गई हैं, से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य श्रेणी

	(12)
	वेतन या वेतनमान में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों के लिए विस्तारित होगा जिसको ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है । **टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. उप-महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —अध्यक्ष 2. कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य 3. उप-कमांडेंट या सहायक कमांडेंट (शिक्षा और तनाव परामर्शदाता काडर), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 1.12011/13/2009-संगठन]

एस. सी. सिवाजी राव, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2010

G.S.R. 687(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police, Assistant Commandant (Education, Development and Rehabilitation) Recruitment Rules, 1999 and the Indo-Tibetan Border Police Force (Education, Development and Rehabilitation Cadre) Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' post of Assistant Commandant in Education and Stress Counsellor Cadre and Group 'B' post of Inspector in Education and Stress Counsellor Cadre and Sub-Inspector in Education and Stress Counsellor Cadre in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Education and Stress Counsellor Cadre, Group 'A' and Group 'B' posts, Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.**—The number of said posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

3265 GI/10-2

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Medical Fitness.**—Only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tebetan Border Police Force Manual Volume-III, shall be eligible for promotion under the provisions of these rules.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Assistant Commandant (Education and Stress Counsellor Cadre).	2* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 5400	Selection post	Not applicable	Not applicable

Education and other qualifications required for direct recruits	Whether age-limit and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two Years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
By promotion.	**By Promotion :** From amongst Inspectors in the Education and Stress Counsellor Cadre who have rendered three years regular service in the grade and have qualified the pre-promotion Training/ Courses prescribed by the Department.

	(12)
	Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th. Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee will consist of :— 1. Director General, Indo-Tibetan Border Police Force —Chairman 2. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force —Member 3. Director/Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs —Member 4. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force —Member	Exempted from the purview of Union Public Service Commission.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Inspector (Education and Stress Counsellor Cadre)	10* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4600	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

3265 GI/10—3

(11)	(12)
By Promotion	**By Promotion :** From amongst Sub-Inspector in In the Education and Stress Counsellor Cadre who have rendered five years' regular service in the grade and have qualified the pre-promotion Training/ Courses prescribed by the Department. **Note 1 :** The eligibility condition for promotion in respect of Sub-Inspector (Education and Stress Counsellor Cadre), who are holding the post on regular basis as on the date of notification of these rules shall continue to be three years. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. **Note 3 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee will consisting of :— 1. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force —Chairman 2. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force —Member 3. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force —Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Sub Inspector (Education and Stress Counsellor Cadre)	73* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years

(11)	(12)
By Promotion	**By Promotion :** From amongst Head Constables in the Education and Stress Counsellor Cadre who have rendered not less than ten years' regular service in the grade and have qualified the pre-promotion Training/Courses prescribed by the Department. **Note 1 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force —Chairman 2. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force —Member 3. Deputy Commandant or Assistant Commandant (Education and Stress Counsellor Cadre), Indo-Tibetan Border Police Force —Member	Not applicable.

[F. No. 12011/13/2009-Org.]

S. C. SIVAJI RAO, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.